समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

निगरानी प्र.क्र.– /पीबीआर/16 राजगढ

R-3777-PBR/16

रोड़ूमल आ. श्री मांगीलाल
कृषक ग्राम पिपल्या पाल निवासी ग्राम अमलावता
तहसील जिला राजगढ म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

राजमल आ0 श्री बसराज
कृषक ग्राम पिपल्या पाल निवासी ग्राम अमलावता
तहसील जिला राजगढ म0प्र0 .....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान तहसीलदार तहसील सारंगपुर जिला राजगढ के प्रकरण क्र. 32/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 21/06/16 एवं सीमांकन कार्यवाही से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार तहसील सारंगपुर जिला राजगढ के समक्ष अपने स्वत्व एवं स्वामित्व के खसरा क्र0 199/1 रकवा 0.726 हेक्टयर भूमि के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तहसीलदार तहसील सारंगपुर जिला राजगढ अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को नियमानुसार दर्ज किये विना ही आदेश दिनांक 03/05/2016 के द्वारा अनावेदक कि भूमि का सीमांकन करने के आदेश दिये । तहसीलदार महोदय द्वारा दिये गये आदेश के पालन राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा सभी हितबद्ध एवं मेढ़ पड़ोसी को सूचना पत्र जारी किए बिना ही अवैधानिक तरीके से अनावेदक से सांठगांठ कर सीमांकन करते हुए सीमांकन प्रतिवेदन में खसरा क्र0 199/1 के रकवा 0.044 हेक्टयर भूमि पर आव्रेदक का अवैध कब्जा होने का उल्लेख किया गया। उक्त सीमांकन की जानकारी आवेदक को उस समय हुई जब आवेदक माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा भेजे गये सूचना पत्र के पालन में दिनांक 16/09/2016 को व्यवहार न्यायालय सारंगपुर के समक्ष उपस्थित हुआ । सीमांकन प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 21/09/16 को विवादित कार्यवाही कि प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक को विवादित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति दिनांक 21/09/16 को प्राप्त हुई है। इसलिये आवेदक द्वारा यह निगरानी विवादित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निग0 प्रकरण कमांक 3777–अध्यक्ष/2016 जिला–राजगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
21.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री डी0 आर0 गौड़ उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण कमांक 32/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.6.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19 सदस्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सारंगपुर जिला राजगढ़	